कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 115/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री आरिफ मोहम्मद एडवोकेट, चैम्बर नं0 102, कोर्ट कैम्पस
भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

——प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः—28.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवर्तन निरीक्षक/जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से सूचना चाही गई। अवधि गुजर जाने के बावजूद ना ही सूचना उपलब्ध करवाई गई है व ना ही ना दिये जाने का कारण स्पष्ट किया गया है। सूचना दिलवाई जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official